उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 13.10.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 13.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 13.10.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले अभियुक्त को थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार-

महोबा पुलिस जनपद में शान्ति एवं सौहार्द बनाए रखने हेतु कटिबद्ध है...

जनपद महोबा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धार्मिक सौहार्द बिगाडने वाली, भ्रामक, भड़काऊ व आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत सम्बन्धित अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वन्दना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में सोशल मीडिया पर निगरानी अभियान के दौरान यह कार्यवाही की गई।

दिनांक 10.10.2025 को Instagram ID – hema-nt735 पर एक आपत्तिजनक व भड़काऊ स्टोरी अपलोड की गई थी, जिसमें धार्मिक सौहार्द को भंग करने वाला कथन अंकित था। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 285/2025, धारा 353(2) BNS बनाम आईडी hema-nt735 संचालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ द्वारा गठित टीम जिसमें उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य एवं उ0नि0 सुरेश पटेल के द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 13.10.2025 को उक्त आईडी संचालक हेमन्त जॉन पुत्र सुरेन्द्र नामदेव, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी इशाई टोला, सीपरी बाजार, झांसी (उ0प्र0), हाल पता क्रिश्चियन कॉलेज हॉस्टल, कुलपहाड़, महोबा को थानाक्षेत्र के मुढारी तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक Vivo कम्पनी का मोबाइल (मॉडल Vivo 1820, रंग – काला/नीला) बरामद किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

महोबा पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाहपूर्ण अथवा धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट साझा न करें। ऐसे कृत्यों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण एवं बरामदगी-

हेमन्त जॉन पुत्र सुरेन्द्र नामदेव, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी इशाई टोला, सीपरी बाजार, झांसी, हालपता क्रिश्चियन कॉलेज हॉस्टल, कुलपहाड़ (बरामद- एक Vivo कम्पनी का मोबाइल)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य
2. उ0नि0 सुरेश पटेल

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने
01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 13.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम जिसमें उ0नि0 रामकृष्ण तिवारी के नेतृत्व में टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त विनय कुमार पुत्र सुरेश कुमार द्विवेदी उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित परिवाद सं. 436/20 धारा 138 NI Act के क्रम में माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)एफ0टी0सी0 /महिला महोबा के द्वारा निर्गत वारण्ट के क्रम में वारण्टी अभियुक्त को ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया । वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

उ0 नि0 रामकृष्ण तिवारी थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त :-

विनय कुमार पुत्र सुरेश कुमार द्विवेदी उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा

महोबा पुलिस

थाना अजनर की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध की कडी कार्यवाही, 74 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपद में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई।

प्रथम पुलिस पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम कबूतरा डेरा खोई से अभियुक्ता रागनी पत्नी सुसेन्द्र कबूतरा को 09 लीटर अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया।

द्वितीय टीम ने ग्राम पसानाबाद मोड़ से अभियुक्त अखिलेश पुत्र द्वारिका प्रसाद राजपूत को 43 क्वार्टर अवैध ठेका देशी शराब सहित गिरफ्तार किया।

इसी क्रम में तृतीय टीम ने ग्राम इन्द्रहटा के पास से अभियुक्त रामजी राजपूत पुत्र उदयभान राजपूत को 22 क्वार्टर अवैध ठेका देशी शराब सहित गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों से बरामदगी के आधार पर थाना अजनर में क्रमशः मु0अ0सं0 239/2025 मु0अ0सं0 240/2025 मु0अ0सं0 241/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रागनी पत्नी सुसेन्द्र कबूतरा उम्र करीब 21 वर्ष नि0 ग्राम कबूतरा डेरा खोई थाना अजनर
2. अखिलेश पुत्र द्वारिका प्रसाद राजपूत उम्र करीब 35 वर्ष नि0 ग्राम भगारी थाना अजनर
3. रामजी पुत्र उदयभान उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम भगारी थाना अजनर

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

(प्रथम टीम) 1. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी 2. उ0नि0 मालती साहू
(द्वितीय टीम) 1. व0उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह 2. हे0का0 यशपाल सिंह
(तृतीय टीम) 1. उ0नि0 आकाश मौर्य 2. का0 नरेन्द्र बाबू

थाना अजनर की पुलिस टीम ने चोरी की घटना का किया सफल अनावरण, चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त सहित बाल अपचारी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये माल को बेचने से सम्बन्धित नगद रुपये बरामद-

थाना अजनर क्षेत्रअन्तर्गत ग्राम इन्द्रहटा में बन्द पडे माकान में चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना अजनर में मु0अ0सं0 196/25 धारा 305a/331(3) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में उक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 दिनेश सिंह चन्देल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर चोरी की घटना से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों को मुखिबर की सूचना पर नगाराडांग मोड यात्री प्रतीक्षालय के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके नाम क्रमशः 1.सतीश यादव पुत्र जाहर यादव उम्र 20 वर्ष व 01 नफर विधि से संघर्षरत बालक निवासीगण ग्राम इन्द्रहटा थाना अजनर जनपद महोबा को हिरासत में लिया गया जिनके कब्जे से एक मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये गये माल को बेंच कर प्राप्त हुये रूपये 9400/- बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जिसके बरामद होने के आधार पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 196/25 धारा 305a/331(3) BNS में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी व अभियुक्त सतीश व विधि से संघर्षरत बालक का नाम प्रकाश में लाया गया जिनको अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0 नि0 दिनेश सिंह चन्देल 2. का0 उमेशचन्द्र 3. कां0 तुषार सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सतीश यादव पुत्र जाहर यादव उम्र 20 वर्ष
2. 01 नफर विधि से संघर्षरत बालक

निवासीगण ग्राम इन्द्रहटा थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी –

मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये माल को बेंच कर अभियुक्त सतीश से 4800/- रू0 व विधि से संघर्षरत बालक से 4600/- रू0 बरामद हुये।

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 13.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम जिसमें उ0नि0 नरोत्तम सिंह मय हमराह हे0का0 शिवप्रकाश सिंह द्वारा 01 नफर वारण्टी रामभजन पुत्र भुल्ली चमार नि0 ग्राम रतौली थाना खन्ना जिला हमीरपुर केस न0 448/2007 अ0स0 273/05 धारा 25 आर्म्स एक्ट सिविल जज जू0डि0 मौदहा हमीरपुर वारण्टी उपरोक्त को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया । बाद कार्यवाही वारण्टी उपरोक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. रामभजन पुत्र भुल्ली नि0 ग्राम रतौली थाना खन्ना जिला हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 नरोत्तम सिंह
2. हे0का0 शिवप्रकाश सिंह

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 13.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति फेज–5.0 के तहत महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता अभियान — महोबा पुलिस का संवेदनशील प्रयास...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में संचालित "मिशन शक्ति फेज–5.0" अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य से विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं संवाद सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

जिसके क्रम में आज दिनांक- 13.10.2025 को जनपद के समस्त थानों में नियुक्त मिशन शक्ति पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत स्कूलों एवं कालेजों में जाकर स्कूली छात्रों को आत्मरक्षा, सुरक्षा अधिकारों तथा साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रमों के दौरान छात्राओं को 'गुड टच' व 'बैड टच' की पहचान, आत्मरक्षा के सरल उपाय तथा महिला सम्बन्धी अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

साइबर अवेयरनेस कैम्पेन — डिजिटल युग में सुरक्षा की ओर कदम

मिशन शक्ति कार्यक्रम के साथ-साथ महोबा पुलिस द्वारा "साइबर अवेयरनेस कैम्पेन" भी संचालित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को साइबर अपराधों के प्रकार, उनसे बचाव के उपाय, साइबर फ्रॉड की पहचान, फेक लिंक/ओटीपी धोखाधड़ी से सतर्क रहने की जानकारी दी गई।

इस दौरान नागरिकों को साइबर अपराध की शिकायत हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1090 – वीमेन पावर लाइन 181 – महिला हेल्पलाइन 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा 102 – गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन 101 – अग्निशमन सेवा 1930 – साइबर हेल्पलाइन

अभियान का उद्देश्य

मिशन शक्ति फेज–5.0 एवं साइबर अवेयरनेस कैम्पेन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन, डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता, तथा समाज में महिला सम्मान की भावना को सशक्त बनाना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर अग्निशमन टीम द्वारा आतिशबाज की दुकानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों को परखा गया, सुरक्षा के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में आगामी आने वाले धनतेरस एवं दीपावली पर्व के मद्देनजर जनपदवासियों को सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराये जाने उद्देश्य से आज दिनांक- 13.10.2025 को नवागत प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा श्री महेन्द्र सिंह के नेतृत्व में अग्निशमन टीम द्वारा थाना चरखारी क्षेत्रअन्तर्गत गुढा में आतिशबाजी विक्रय/निर्माण एवं भंडारण स्थलों का निरीक्षण किया गया तथा आतिशबाजी/पटाखा विक्रय/भंडारण/ निर्माण स्थलों पर उपस्थित दुकानदारों एवं स्टाफ को अग्निशमन उपकरणो को चलाए जाने हेतु प्रशिक्षण/जानकारी दी गई तथा लाइसेंसिंग क्षमता के अनुसार रखे जाने हेतु निर्देशित करते हुए मानकों के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव क्रियाशील दशा में रखने हेतु निर्देशित करते हुए जागरुकता पंपलेट के माध्यम से जागरूक किया गया, इसके अतिरिक्त अग्निशमन उपकरण लगाने हेतु एवं सुरक्षा के मानकों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की आग दुर्घटना की संभावना को खत्म किया जा सके।